भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3756

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक पार्कों की स्थापना

3756. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछड़े/अनुसूचित क्षेत्रों सहित देश में और औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक देश के साथ तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन लोगों की कुल राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनको आज तक औद्योगिक पार्कों की स्थापना के समय रोजगार दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक देश के साथ ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करते समय किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): 01 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का विकास, विकास और संचालन, अथवा, रखरखाव और संचालन शुरू करने वाले किसी उपक्रम के लिए लागू औद्योगिक पार्क योजना-2002 को 1 अप्रैल, 2002 को अधिसूचित किया गया था। इस औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य निम्नानुसार था:

औद्योगिक पार्क होने के नाते इसका लक्ष्य -(क) अनुसंधान और विकास सहित एकीकृत विनिर्माण क्रियाकलापों के लिए इसकी सीमा के भीतर प्लॉट या शेड और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर औद्योगिक अवसंरचना के विकास हेतु औद्योगिक मॉडल टाउन; (ख) विशिष्ट औद्योगिक इस्तेमाल के प्रयोजन के लिए किसी आबंटित अथवा चिह्नित क्षेत्र में सामान्य सुविधा युक्त अवसंरचनागत सुविधाओं या निर्मित स्थानों के विकास हेतु औद्योगिक पार्क; अथवा (ग) भारत सरकार की विकास केंद्र योजना के तहत विकास केंद्र की स्थापना करनी होगी जो किसी उपक्रम द्वारा योजना के कार्यान्वयन और विकास केंद्र को स्पष्ट रूप से पृथक लाभकारी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के अध्यधीन है। तत्पश्चात्, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2006 को या उसके बाद

किन्तु 31 मार्च, 2009 से पहले स्थापित औद्योगिक पार्कों के संबंध में 8 जनवरी, 2008 को औद्योगिक पार्क योजना, 2008 अधिसूचित की थी जिसमें इनका बाद में किया गया विस्तार भी शामिल है। सीबीडीटी, राजस्व विभाग द्वारा इस योजना के तहत अनुमोदनों पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग): औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल संख्या सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए प्रत्येक देश के साथ हस्ताक्षरित एमओयू का राज्य-वार ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****